भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 1008

उत्‍तर देने की तारीख : 09 मार्च, 2017

**कॉलेज जाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति**

**1008. श्री नज़ीर अहमद लवायः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) सरकार द्वारा संचालित कॉलेज जाने वाले छात्रों को दी जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार विशेषतौर पर जम्मू एवं कश्मीर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संक्षिप्त सूची में रखे गए उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा ऐसे विलंब को कम करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के संबंध में क्या योजना है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. महेन्‍द्र नाथ पाण्‍डेय)**

क) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (i) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केन्द्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति योजना और (ii) जम्मू और कश्मीर विशेष छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित कर रहा है।

ख) वित्तीय वर्ष 2016-17 की योजनाओं के तहत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्नक ‘क’ पर दिया गया है।

ग) अनियमित विलंब को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, दोनों योजनाएं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम के तहत लाई गई हैं। लाभार्थी द्वारा प्रदान किए गए गलत बैंक ब्यौरों के कारण कुछ मामलों में छात्रवृत्ति के संवितरण में विलम्ब हुआ।

\*\*\*\*\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **संलग्नक-I** |  |
| **वित्तीय वर्ष 2016-17 (01.4.2016 से 28.02.2017) के लाभार्थियों का विवरण** |
|  |  | **कॉलेज एवं विश्वविद्यालय छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना**  | **जम्मू एवं कश्मीर विशेष छात्रवृत्ति योजना \*\*** |
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **लाभार्थियों की संख्या** | **लाभार्थियों की संख्या** |
| 1 | सीबीएसई | 6463 | - |
| 2 | सीआईएसई | 8 | - |
| 3 | आंध्र प्रदेश | 3646 | - |
| 4 | असम | 6 | - |
| 5 | बिहार | 36 | - |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 750 | - |
| 7 | चंडीगढ़ \* | - | - |
| 8 | दिल्ली \* | - | - |
| 9 | गोवा | 104 | - |
| 10 | गुजरात | 1670 | - |
| 11 | हरियाणा | 2394 | - |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 2163 | - |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 42 | 2208 |
| 14 | झारखंड | 15 | - |
| 15 | कर्नाटक | 13056 | - |
| 16 | केरल | 485 | - |
| 17 | महाराष्ट्र | 5390 | - |
| 18 | मध्य प्रदेश | 4774 | - |
| 19 | मणिपुर | 54 | - |
| 20 | नागालैंड | 57 | - |
| 21 | ओडिशा | 987 | - |
| 22 | पंजाब | 5436 | - |
| 23 | राजस्थान | 3042 | - |
| 24 | सिक्किम \* | - | - |
| 25 | तमिलनाडु | 3442 | - |
| 26 | तेलंगाना | 4302 | - |
| 27 | त्रिपुरा | 132 | - |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 955 | - |
| 29 | उत्तराखंड | 1 | - |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 2117 | - |
| 31 | पुडुचेरी | 366 | - |
|  | **कुल** | **61893** | **2208** |
| \*योजना को राज्य शिक्षा बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। चंडीगढ, दिल्ली और सिक्किम का अपना शिक्षा बोर्ड नहीं है। \*\* यह योजना विशेषकर जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए है जिन्होंने जम्मू-कश्मीर स्थित स्कूलों से XIIवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अवर स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम की पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर प्रवेश ले लिया है।  |